

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 192/ 2019

लवप्रीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जट सिख निवासी 7 बी एन डब्ल्यू ढाणी तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

- 1 जसपाल कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 हरदीप सिंह पुत्र कुण्डा सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 मिटू सिंह पुत्र कुण्डा सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 बलविन्द्र सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 बलविन्द्र सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 7 सुखजीत कौर पुत्री चन्द सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी कीडेखुर्द तहसील व
जिला फरीदकोट पंजाब
- 8 सितल सिंह पुत्र माहल सिंह जाति जट सिख निवासी डोड वान्दर जिला
फरीदकोट पंजाब
- 9 दान सिंह पुत्र माहल सिंह जाति जट सिख निवासी डोड वान्दर जिला
फरीदकोट पंजाब
- 10 गुरदर्शन सिंह पुत्र माहल सिंह जाति जट सिख निवासी डोड वान्दर जिला
फरीदकोट पंजाब
- 11 सुबा सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 12 सुरजीत कौर पुत्री मुख्तयार सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी
पक्का पथराला तहसील डबवाली जिला बठिण्डा पंजाब
- 13 हरमनप्रीत सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 14 गुरमनप्रीत सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 15 चमकौर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 16 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण



28/2/2020
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

- उपरिस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-
1 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता (प्रार्थी)
2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक : 26.02.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 13 के नाम से चक 4 बी एन डब्ल्यू के खाता संख्या 42/49 मु.न. 106 कि.न. 1 ता 20 सालम कुल 20 बीघा बारानी भूमि ब.हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड माल है। चक 4 बी एन डब्ल्यू खाता संख्य 82/75 में संयुक्त खाता कुल 18.989 है. में प्रार्थी के नाम 0.079 हे. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी की कब्जा काश्त खाता संख्या 82/75 मु.न. 107 कि.न. 16 व 25 मे करता है, उक्त खाता में शामिल मु.न. 107 के चिपता ही मु.न. 106 पड़ता है, जो इसी चक के खाता संख्या 42/49 में दर्ज है। उक्त खाता में प्रार्थी के नाम 10 बीघा भूमि व 10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 13 के नाम से है। मु.न.106 में पड़ने वाले 10 बीघा रकबा के लिये तथा अप्रार्थी संख्या 13 के रकबा के लिये कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है खाता संख्या 42/49 संलग्न है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त के खाता संख्या 82/75 के मु.न. 107 कि.न. 16, 25 में से होकर अपने खेत मे आता जाता है चूंकि मु.न. 107 कि.न. 25 तक सरकारी रास्ता लगता है प्रार्थी अपने हिस्सा के रकबा 0.079 है. में से कि.न. 25 में 0.025 है. रास्ता कि.न. 25 के पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण व कि.न. 16 में 0.012 है. यानि कि.न. 25 में 2 बिस्वा व कि.न. 16 में 1 बिस्वा अपने रकबा मु.न. 106 कि.न. 20 में प्रवेश करने के लिये लेना चाहता है। यह रास्ता मौका पर घरू तौर पर चल रहा है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। चक 4 बी एन डब्ल्यू के खाता संख्या 42/49 के मु.न. 106 कि.न. 1 ता 20 सालम, बारानी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 13 ब.हि. ब. कब्जा काश्त में है जिसमें आने जाने के लिये प्रार्थी अपने नाम दर्ज रकबा 0.079 है. खाता संख्या 82/75 में से अन्य सहखातेदारों की देखा देखी व उनकी सहमति से रास्ता के रूप मे उपयोग व उपभोग कर रहे है, प्रार्थी अपने नाम दर्ज रकबा 0.079 हे. में से रासता के रूप मे उपयोग किये जा रहे 0.038 हे. रकबा कम करवा कर रासता स्वीकृति करवाने का अधिकारी है। इसमे अन्य किसी सहखातेदार को भी कोई हानि नहीं है। चूंकि प्रार्थी स्वयं का रकबा ही गैर मुमकिन दर्ज करवाना चाहता है।
बगौरा-वगौरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी आराजी चक 4 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 42/49 के मु.न. 106 में आने जाने के लिये प्रार्थी के नाम दर्ज खाता संख्या 82/75 के मु.न. 107 में 0.079 है. में से 0.038 है. रकबा कम किया जाकर उक्त रकबा रास्ता के रूप में मु.न. 107 कि.न. 25 में 0.025 है., कि. न. 16 में 0.013 है. कि.न. 25 के पूर्व दिशा में पत्थर लाई पर उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

सादुलशहर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)


पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी सामान्य प्रक्रिया एव रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में लायी गयी। रिपोर्ट तलब की गयी। रिपोर्ट प्राप्त हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी के कब्जा काश्त के मु.न. 106 में आने जाने के लिये प्रार्थी मु.न. 107 के कि.न. 16 व 25 के पूर्वी दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता की मांग कर रहा है, जो कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी में आने जाने के लिये चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है एव इस सम्बन्ध में गिरदावर हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट में वर्णित है कि प्रार्थी के हक हिस्सा की आराजी के अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए आर. टी. ए. की शर्तों को पूरा करता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

* अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की आराजी चक 4 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 42/49 के मु.न. 106 में आने जाने के लिये चक 4 बी एन डब्ल्यू के खाता संख्या 82/75 मु.न. 107 कि.न. 25 में 0.025 है, कि.न. 16 में 0.013 है, प्रत्येक किला के पूर्व दिशा में पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


28.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

